महत्वपूर्ण एवं खास

सहायक ग्रेड-02 सतीश कुमार को किया गया निलंबित

कोरबा (आरएनएस)। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने एकीकृत बाल विकास परियोजना बरपाली के सहायक ग्रेड-02 सतीश कुमार सहीस को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के उल्लंघन के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। गौरतलब है कि सतीश कुमार द्वारा करतला तहसील अंतर्गत ग्राम बुढिय़ापाली में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र में कार्यकर्ता पद पर भर्ती प्रक्रिया में नियम विरूद्ध कार्यवाही की गई थी। उक्त संबंध में सतीश कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। सतीश कुमार द्वारा दिए गए उक्त नोटिस का जवाब समाधान कारक नहीं पाये जाने हेतु उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय हरदीबाजार नियत किया गया है एवं निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

एकावरी जंगल में पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़

धमतरी (आरएनएस)। जिले के बोराई थाना क्षेत्र के एकावरी जंगल में बीती रात मैनपुर नुआपाड़ा संयुक्त डिवीजन के माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर एसटीएफ., गरियाबंद डीआरजी एवं धमतरी डीआरजी एवं सीआरपीएफ. 211 बटालियन की संयुक्त टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी। सर्चिंग अभियान के दौरान कल रात्रि पुलिस एवं माओवादियों के बीच मुड़भेड़ हुई है। क्षेत्र में सघन सर्चिंग अभियान अभी लगातार जारी है,विस्तृत जानकारी पृथक से जारी की जाएगी।

ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के घर लाखो की चोरी

सक्ती (आरएनएस)। सक्ती के बाराद्वार रोड में स्थित राइस मिल एवं ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के घर से अज्ञात चोरों ने लगभग पांच लाख रूपये नकद और 55 लाख रूपये के सोने व चांदी के जेवर पार कर दिया। घर के लोगों को चोरी की भनक लगी और उन्होंने उठकर देखा तो चोर भाग रहे थे। सुबह इसकी सूचना उन्होंने थाने जाकर दी। मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात ट्रांसपोर्ट व्यवसायी प्रकाश गोयल और उसके परिवार के सभी सदस्य खाना खाकर सो गए थे। इसी दौरान देर रात उनके मकान में चोर घूस गये और मकान के नीचे वाले हिस्से में दुकान के पीछे तीसरे नंबर के कमरे में आलमारी में सोने चांदी के गहने और पांच लाख रूपये नकद पार कर दिया। घर के लोगों को जब भनक लगी और उठकर देखा तो चोर भाग रहे थे। अगली सुबह प्रकाश गोयल ने इसकी सूचना पुलिस थाने में दी। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी विवेक शर्मा बल के साथ मौके पर पहुंचे और मौके का मुआयना किया।इधर परिवार के सदस्य चोरी गए सामानों के स्पष्ट आंकड़े जुटाने की बात कही। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना कर रही है। सीसी कैमरे में दो नाबालिगों की तस्वीर कैद हुई है। पुलिस घर के अलावा आसपास मुख्य मार्ग में लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगाल रही है। इधर नगर में यह भी चर्चा है कि व्यवसायी के घर में बड़ी चोरी हुई है। लगभग एक करोड़ रूपये तक के गहनों के चोरी होने की आशंका जता रहे हैं।

लोकसभा निर्वाचन-2024... स्वीप सद्भावना क्रिकेट मैच में पंचायत 11 विजयी, पुलिस 11 की टीम रही उप विजेता

रायगढ़

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में स्वीप मतदाता जागरूकता अभियान के तहत शनिवार को रायगढ़ स्टेडियम में सद्भावना क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। नगर निगम 11, पंचायत 11 एवं पुलिस 11 के बीच खेले गए क्रिकेट मैच में पंचायत 11 की टीम विजयी रही।

सबसे पहले नगर निगम इलेवन और पंचायत इलेवन के बीच मैच खेला गया। मैच के पूर्व टॉस जीतकर नगर निगम इलेवन की टीम ने पहले बल्ले बाजी करने का निर्णय लिया। बैटिंग करने उतरी नगर निगम की टीम ने 8 ओवर की मैच में सात विकेट खोकर 38 रन बना पाए इसमें निगम की ओर से तहसीलदार लोमस मिरी ने 8 बॉल खेलकर छह रन जोड़े। जवाबी कार्रवाई के लिए उतरे पंचायत 11 की टीम ने 6 विकेट गंवाकर 7 ओवर में ही 38 रन बना लिया और अपनी टीम को जीत दिलाई। निगम कमिश्नर सुनील कुमार चंद्रवंशी ने बॉलिंग करते हुए 1 विकेट लिया। मैच के मैन ऑफ द मैच पंचायत इलेवन के रवि बघेल रहे। रवि ने बैटिंग करते हुए अपनी टीम के लिए 6 रन जोड़े और बॉलिंग कर निगम इलेवन 3 बैट्समैन को वापस पवेलियन भेजा। दूसरा मैच पंचायत इलेवन और पुलिस इलेवन के बीच खेला गया। पंचायत 11 की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर में 7 विकेट खोकर 69 रन बनाए। रनों का पीछा करने उतरी पुलिस इलेवन की टीम 3 विकेट गंवाकर 8 ओवर में सिर्फ 30 रन ही बना पाई। दूसरे मैच के मैन ऑफ द मैच पंचायत 11 टीम के बैट्समैन दिनेश सिदार रहे। दिनेश ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए 32 रन जोड़े। जिला पंचायत सीईओ जितेन्द्र यादव 1 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इस तरह 2 मैच जीत कर पंचायत 11 की टीम सद्भावना क्रिकेट मैच कप फाइनल में पहुँच गई है, जिसका मुकाबला कलेक्टर 11 की टीम से होगा, इसकी तिथि सभी प्रेक्षकगण के आगमन पश्चात निर्धारित की जाएगी।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल एवं पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल द्वारा मैच के विजेता, उप विजेता और सांत्वना पुरस्कार देकर क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। मैच में दर्शकदीर्घा के रूप में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय, डीएफओ रायगढ़ स्टायलो मण्डावी, सहायक कलेक्टर युवराज मरमट, निगम डिप्टी कमिश्नर सुतीक्षण यादव सहित निगम, जिला पंचायत और पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

7 मई को शत-प्रतिशत मतदान हमारा लक्ष्य- कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने सद्भावना क्रिकेट मैच के आयोजन की प्रशंसा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से अधिकारियों एवं कर्मचारियों में अपने कार्यों को और अधिक प्रभावशाली रूप से करने के लिए बल मिलता है। उन्होंने कहा कि सद्भावना मैच में नगर निगम, जिला पंचायत एवं पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए हैं। इसमें शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम और जिले के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला पंचायत एवं पूरे जिले के शहर एवं ग्रामीण तक पुलिस विभाग की पहुंच होती है। सभी विभागों के कार्यों से ही मतदाताओं को जागरूक करने और आगामी 7 मई 2024 को अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए मतदान करने की अपील की जा रही है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने कहा कि निश्चित तौर पर ऐसे आयोजनों से अधिकारियों और कर्मचारियों को तनाव से मुक्ति मिलती है और वे अपने कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी पूर्वक बेहतर कार्य करने सजग रहते हैं। इस दौरान एसपी पटेल ने क्रिकेट मैच आयोजन की प्रशंसा करते हुए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।

सी-विजिल एप्प के संबंध में प्रोग्रामर्स एवं आपरेटर्स को दिया गया प्रशिक्षण

सारंगढ़-बिलाईगढ़

आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के परिप्रेक्ष्य में जिले में तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसके तहत विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए एक ओर जहां टीमों का गठन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर निर्वाचन संबंधी सभी कार्यों के संपादन के लिए उन टीमों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। इसी तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेश कुमार साहू के निर्देशन में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आगामी लोकसभा 2024 के लिए सी-विजिल, इनकोर के संबंध में प्रोग्रामर्स को एनआईसी के अधिकारी आशीष वर्मा द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। उक्त प्रशिक्षण में तकनीकी प्रोग्रामर्स एवं आपरेटर्स को आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान दौरान एप्प से संबंधित तकनीकी पहलुओं एवं सभी प्रकार के डाटा एण्ट्री से संबंधित कार्यों के निष्पादन की विस्तृत जानकारी दी गई।

गौरतलब है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने में नागरिकों की भागीदारी और जवाबदेही बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग की ओर से सी-विजिल (C-ViGil) मोबाइल एप की सुविधा की गई है। इस एप के जरिए कोई भी व्यक्ति आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की गतिविधियों या घटनाओं की शिकायत चंद मिनटों में दर्ज करा सकता है। इसके लिए अब उसे निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में आने की जरूरत नहीं होगी। जिले में अब तक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायते होने पर समय रहते कार्रवाई की जा रही है। सी-विजिल मोबाइल एप पर शिकायत प्राप्त होते हुए उड़नदस्ता (एफ.एस.टी.) तुरंत मौके पर पहुँच कर ज़रूरी कार्रवाई करेगा।

झगड़ा-मारपीट में युवक पर टांगी से वार, आरोपित को हत्या के प्रयास अपराध में पुलिस ने किया गिरफ्तार

रायगढ़

दिनांक 12/04/2024 की रात थाना तमनार अंतर्गत ग्राम जांजगीर में मारपीट की सूचना डॉयल 112 को मिली। मौके पर पहुंची डॉयल 112 स्टाफ द्वारा मापीट में घायल शनि सिदार (25 साल) निवासी ग्राम जांजगीर को उपचार के लिये सीएचसी तमनार में भर्ती कराया गया।

घटना को लेकर आहत की छोटी बहन प्रिया सिदार द्वारा थाना तमनार में रिपोर्ट दर्ज करायी और बताई कि दिनांक 12.04.2024 के दोपहर इसके भाई शनि सिदार और गांव के सुरेश सिदार के बीच झगड़ा हुआ था, रात करीब 8.30 बजे सुरेश सिदार इसके घर आया और भाई शनि सिदार से शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा। शनि सिदार पैसे नहीं देने पर गाली गलौच करते हुये घर से टांगी लाया और शनि सिदार के पीठ पर मारा। इस बीच घर के लोग आकर बीच बचाव किये और डॉयल 112 को सूचना दिये। प्रार्थीया के रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 121/2024 धारा 294,506,323,327 भादवि के तहत अपराध कायम किया गया। आहत शनि सिदार को तमनार अस्पताल में प्रारंभिक उपचार बाद रायगढ़ अस्पताल रिफर किया गया है। आहत के मुलाहिजा रिपोर्ट पर प्रकरण में धारा 307 भादवि विस्तारित कर तत्काल थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर एवं स्टाफ द्वारा दबिश आरोपी सुरेश सिदार पिता स्व. सुदर्शन सिदार उम्र 27 साल निवासी ग्राम जांजगीर फिटिंगपारा, थाना तमनार को हिरासत में लिया गया जिससे घटना में प्रयुक्त टांगी और घटना समय पहने कपड़े वगैरह जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी की तत्काल पतासाजी, गिरफ्तारी में थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांव, ASI खेमराज पटेल, प्रधान आरक्षक देव प्रसाद राठिया,आरक्षक भीष्मदेव सागर तथा डॉयल 112 स्टाफ की विशेष भूमिका रही है।

बाल विवाह रोकने टीमें अलर्ट, कलेक्टर ने जारी की एडवाइजरी

- **बाल विवाह करने वाले वर एवं वधु के माता-पिता के साथ पुरोहित पर भी हो सकती है कानूनी कार्यवाही**
- **रामनवमी एवं अक्षय तृतीया को बाल विवाह रोकथाम को लेकर सतर्कता बरतने एवं कार्यवाही करने कलेक्टर गोयल ने विभागों को दिए दिशा-निर्देश**
- **112 व 1098 पर कॉल कर दी जा सकती है सूचना**

रायगढ़

आगामी रामनवमी और अक्षय तृतीया में बाल विवाह की संभावना को देखते हुए कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने बाल विवाह के रोकथाम के लिए एडवाइजरी जारी की है। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई ही नहीं अपितु कानूनन अपराध है। इसकी रोकथाम के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा, तभी समाज इस बीमारी से मुक्त हो सकेगा। उन्होंने कहा कि हम सभी का दायित्व है कि समाज में व्याप्त इस बुराई को पूर्णत: रोकथाम हेतु जनप्रतिनिधियों, नगरीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों एवं आमजनों से सहयोग प्राप्त करते हुए इस प्रथा के उन्मूलन हेतु कारगर कार्यवाही करें।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह करने वाले वर एवं वधु के माता-पिता, सगे संबंधी, बाराती यहां तक की विवाह कराने वाले पुरोहित पर भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि वर या कन्या बाल विवाह पश्चात विवाह को स्वीकार नहीं करते है तो बालिग होने के पश्चात विवाह को शून्य घोषित करने हेतु आवेदन कर सकते है। बाल विवाह के कारण बच्चों में कुपोषण, शिशु मृत्य दर एवं मातृ मृत्यु दर के साथ घरेलू हिंसा में भी वृद्धि होती है एवं बाल विवाह बालको के सर्वोत्तम हित में नहीं है अतएव जिले में इसकी रोकथाम किया जाना आवश्यक है।

जारी एडवाइजरी में उल्लेख है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यत: रामनवमी एवं अक्षय तृतीया पर बड़ी संख्या में विवाह होते है। इन अवसरों पर बाल विवाह भी हो सकते है। अतएव पूर्व से ही ग्राम पंचायतवार होने वाले विवाहों की समीक्षा ग्राम स्तरीय/खण्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति के माध्यम से की जाए एवं बाल विवाह होने के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर विवाह रोकने हेतु समझाईश देते हुए नहीं मानने पर कानूनी कार्यवाही करें। आगामी 17 अप्रैल 2024 रामनवमी एवं 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया में बाल विवाह की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन सजग रहते हुए लोकसभा निर्वाचन-2024 के आचार संहिता का पालन करते हुए बाल विवाह रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

बाल विवाह रोकने को लेकर प्रशासन अलर्ट, निगरानी के लिए बनाई गई टीमें- कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने जिले में बाल विवाह होने की संभावना को देखते हुए विकासखण्ड/ परियोजना स्तरीय समिति का गठन किया है। गठित समिति में संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार/ परियोजना क्षेत्र, पुलिस थाना के प्रभारी, परियोजना अधिकारी, (आईसीडीएस)/बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, संबंधित क्षेत्र के पर्यवेक्षक (आईसीडीएस), मिशन वात्सल्य के अधिकारी/कर्मचारी, संबंधित क्षेत्र के सरपंच, पार्षद, पंच, वार्ड स्तरीय समिति के अध्यक्ष/सदस्य, संबंधित क्षेत्र के प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य को शामिल किया गया है। उक्त समिति बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर मौके पर तत्काल पहुंचकर समझाईश देकर बाल विवाह की रोकथाम हेतु कार्यवाही करेंगे। अगर समझाईश के बाद भी बाल विवाह नहीं रोकने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

112 व 1098 पर काल कर दी जा सकती है सूचना- महिला एवं बाल विकास विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में बाल विवाह कराये जाने की सूचना प्राप्त हो तो उसकी सूचना अविलंब पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी को डायल 112 आपातकालीन नंबर अथवा चाइल्ड हेल्प लाईन नंबर 1098 पर सूचना दी जा सकती है।

बस स्टैण्ड पर सट्टा-पट्टी लिखने वाले को खरसिया पुलिस ने पकड़ा, आरोपी से नकद 1,200 रुपए और सट्टा पट्टी जब्त

रायगढ़

दिनांक 12.04.2024 के शाम पुलिस चौकी खरसिया प्रभारी उप निरीक्षक संजय नाग व हमराह स्टाफ द्वारा टाउन पेट्रालिंग दौरान मुखबीर सूचना पर हमालपारा बस स्टैण्ड में ग्राम तेलीकोट निवासी हरवंश टंडन पिता बुंदराम टंडन उम्र 52 वर्ष को सट्टा-पट्टी लिखते पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से सट्टा-पट्टी लिखा एक पन्ना, सट्टा (जुआ) पर लगी नगदी रकम 1,200 रूपये व एक डाट पेन मिला जिसकी जप्ती की गई है। आरोपी हरवंश टंडन पर पुलिस चौकी खरसिया में छत्तीसगढ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 6 के तहत कार्रवाई किया गया है। कार्रवाई में चौकी खरसिया प्रभारी उप निरीक्षक संजय नाग, प्रधान आरक्षक अशोक देवांगन और आरक्षक कीर्ती सिदार शामिल थे।

कलेक्टोरेट से भारत माता चौक तक स्वीप कैंडल-मार्च का हुआ आयोजन, कैंडल जलाकर शत प्रतिशत मतदान का दिया संदेश

सारंगढ़-बिलाईगढ़

आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 में योग्य उम्मीदवार को मतदान देकर लोकतंत्र मजबूत बनाने में आम नागरिकों को सहयोग देने तथा शत प्रतिशत मतदान के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू के मार्गदर्शन में शनिवार की संध्या को सारंगढ़ कलेक्टोरेट से भारत माता चौक तक स्वीप कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वीप नोडल हरिशंकर चौहान, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिकेत साहू, सीईओ संजू पटेल, नगरपालिका अधिकारी राजेश पाण्डेय समेत बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी, बिहान समूह की महिलाएँ, स्कूली छात्र-छात्राएं, पत्रकारगण एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए।

स्वीप कैंडल मार्च में, सारंगढ़ बिलाईगढ़, सब्बो जाबो वोट देहे बर एवं परदेश नहीं जाव जी, वोट देबर आव जी का नारा लगाते हुए शत प्रतिशत मतदान का संदेश दिया गया। साथ ही उपस्थित सभी अधिकारी-कर्मचारियों, युवाओं एवं महिला मतदाताओं ने निष्पक्ष मतदान करने का संकल्प भी लिया। ज्ञातव्य है कि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू के मार्गदर्शन तथा स्वीप के नोडल अधिकारी हरिशंकर चौहान के नेतृत्व में स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत जिले में अनेक मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थी, महिला समूह, अधिकारी-कर्मचारी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि बढ़-चढ़कर शामिल हो रहे हैं।

धोखाधड़ी का फरार आरोपी गिरफ्तार, इंश्योरेंस का पैसा जमा ना कर कई कस्टमर्स से किया था धोखाधड़ी

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल द्वारा लंबित अपराधों के फरार आरोपियों की शीघ्र पतासाजी, गिरफ्तारी के दिये दिशा निर्देशों पर घरघोड़ा पुलिस द्वारा धोखाधड़ी फरार के आरोपी पवन कुमार महानंद पिता सुरेन्द्र राम उम्र 48 वर्ष सा. गीतांजली सिटी फेस-2 गली नं. 04 शिव मंदिर के सामने बिलासपुर थाना सरकंडा जिला बिलासपुर (छ.ग.) को आज गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी करीब 06 साल से गिरफ्तारी से बचने लुक-छिप रहा था। घरघोड़ा पुलिस लगातार आरोपी के सकुनत बिलासपुर में दबिश देकर उसके परिवारजन और रिस्तेदारों से पूछताछ कर संपर्क रखे हुये थी साथ ही थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक अमित तिवारी द्वारा आरोपी के सकुनत आसपास सूचना देने मुखबीर तैनात कर रखा गया था। आज पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी अग्रिम जमानत के लिए घरघोड़ा आया हुआ है, सूचना पर तत्काल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया गया जिससे पूछताछ में उसने कस्टमर्स के इन्सोरेंस रूपये जमा ना कर धोखाधड़ी करना स्वीकार किया जिससे खर्च के बाद बचे रकम रु.4,000 की जप्ती की गई है। घरघोड़ा पुलिस द्वारा आज शाम आरोपी पवन कुमार महानंद को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

आरोपी पवन कुमार महानंद की जालसाजी-

वर्ष 2018 में घरघोड़ा पुलिस को पवन कुमार महानंद के विरूद्ध धोखाधड़ी के संबंध में शिकायत पत्र जांच के लिये प्राप्त हुआ था जिसमें आवेदक एवं गवाहों का कथन लिया गया। आवेदक व गवाहों ने बताया कि वर्ष 2012-13 में पवन कुमार महानंद कोरबा में प्रायवेट इंश्योरेंस कंपनी में सेल्स मैनेजर के पद में कार्यरत था जो कि वर्ष 2014 में आवेदक रघुनंदन प्रसाद चौधरी तथा सुशील कुमार चौधरी, रूप सिंह राठिया, कंठी राम राठिया, जगमोहन दास, गंगा राम सिदार, श्रीमति कांति राठिया को कंपनी में अधिक ब्याज मिलने का लालच देकर इंश्योरेंस कराया और उन्हें पैसा जमा कर रसीद लाकर दूंगा कहकर रकम ले गया। जब कस्टमर्स ने रूपये जमा की रसीद मांगी तो पवन का खेल बिगड़ गया। उसने उस समय 5 कस्टमरों को 48 हजार रूपये वापस किया गया एवं बाकी 12 कस्टमरों को रकम 2 माह की अवधि लेकर वापस करने का स्टाम्प पेपर में लिखकर दिया किन्तु रूपये नहीं लौटा कर फरार हो गया था। यहीं नहीं उसने कांति राठिया को एक चेक 1,50,000/- रूपये का दिया गया जो चेक बांऊस हो गया है और गोविन्द यादव को 1,50,000/- रूपये को जाली बाऊण्ड पेपर दिया गया। शिकायत जांच में दिनांक 22/07/20218 को आरोपी पर अपराध क्रमांक 206/2018 धारा 420, 201, भा.द.वि. कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी गिरफ्तारी से बचने लगातार अपना निवास स्थान बदल रहा था जिसे घरघोड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480